<u>प्रकरण संख्या 15/2018 मूल वाद विरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह</u>

24.04.2019 :–

वकुलाय उपस्थित । प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी में इस आशय का पेश किया गया कि वादी द्वारा यह वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है । जिसमें वादी की ओर से प्रतिवादी द्वारा वादी को दिये गये नोटिस दिनांक 05.07.2018 में वादी से 42,03,000/– रूपये की मांग की गई है उसे अवैध व शून्य घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया है और इस पर वाद का मूल्यांकन 5,11,000/– रूपये ही कायम किया गया है और वादी द्वारा कम मूल्यांकन कर उस पर राजस्थान न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 24 बी के तहत आधी न्यायशुल्क पर वाद प्रस्तुत किया है । यह वाद किसी भी प्रकार से अचल सम्पत्ति से संबंधित नहीं है और धारा 24 बी इस पर लागू नहीं है जबकि वादी को 4203000/– रूपये के मूल्यांकन पर न्यायशुल्क अदा करना आज्ञापक था। न्यायशुल्क अदा किये बिना न्यायालय में आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकती। उसे उक्त राशि पर न्यायशुल्क अदा करने की आज्ञा प्रदान की जावे । न्यायशुल्क अदा नहीं करने की अवस्था में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसका वाद निरस्त किया जावे ।

इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी वादी ने यह कथन किया कि उसके द्वारा प्रतिवादी के द्वारा दिये गये नोटिस जो अवैध व क्षेत्राधिकार से परे है, को चुनौती दी गई है । उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन 5,11,000/– रूपये सही किया गया है । क्योंकि नोटिस अवैध व क्षेत्राधिकार से परे है । उसकी मालियत कानूनन शून्य होती है । इसी आधार पर प्रकरण की मालियत कायम की गई है, मांग के अनुसार की जाने का प्रावधान नहीं है । प्रकरण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से धारा 24 बी न्यायशुल्क अधिनियम के तहत सही न्यायशुल्क अदा किया गया है और साथ ही उक्त बिन्दु विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित बिन्दु है जिसका निर्धारण पक्षकारों की साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है । साथ ही आर्थिक क्षेत्राधिकारिता भी इस न्यायालय को प्राप्त है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान के तर्कों को सुना । संबंधित विधि का भी अवलोकन किया । प्रकरण में अभी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नहीं हुआ है एवं प्रारम्भिक अवस्था में ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और आदेश 7 नियम 11 (ग) सी पी सी में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि

न्यायालय द्वारा विहीत की गई समयावधि के भीतर न्यायशुल्क अदा नहीं किया जाता है तो वाद निरस्ती का आधार उत्पन्न हो जाता है । हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया है । साथ ही न्यायशुल्क कम है अथवा पर्याप्त इसका निर्धारण जवाबदावा आने पर उक्त संबंध में तनकी कायम कर किया जाना न्यायोचित होगा । क्योंकि यह प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है । इसका निर्धारण बिना तनकी कायम किये नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाबदावा दिनांक 22.05.2019 को पेश हो ।